Bihar Administrative Service Association

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 22 Date 14-02-2023

सेवा में,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
पटना सदर, पटना।

विषयः– पटना गया रोड अवस्थित खास महाल प्लॉट सं0–114, 115, 155, 156 रकवा–0.31 ए0 लीज होल्ड भूखण्ड के जॉच हेतु लीज डीड की वसीका उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक–500 दिनांक–13.02.23

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री काशी कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार एडमिनस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन, पटना का निबंधन रद्द करते हुए संघ के सभी क्रिया–कलापों पर रोक तथा संघ के परिसम्पत्तियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने संबंधी आदेश ज्ञापांक–76 दिनांक–28.012023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पारित की गई है।

इस संबंध में CWJC सं0–1899/2023 में दिनांक–10.02.2023 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त आदेश की कंडिका–2 में श्री काशीनाथ द्वारा दिनांक–28.012023 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की जायगी स्पष्ट रूप से अंकित है तथा इस विवाद का निपटारा करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार को निदेशित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सबंध में मुख्य सचिव, बिहार तथा माननीय उच्च न्यायलय द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक इस जांच प्रक्रिया को स्थगित रखा जाय।

अनु0:–यथोक्त।

14/02/23
(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

।। आदेश ।।

पटना, दिनांकः– 28/01/2023

संख्याः– BS3-101321/2003 -76 / **बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन (निबंधन संख्या–633 / 2003–04)**, जिसका निबंधित कार्यालय इनकम टैक्स गोलम्बर के उत्तर, नेहरू मार्ग, पटना–1 में अवस्थित है, द्वारा दिनांक 07.12.22 को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक तथाकथित रूप से की गई थी, जिस कारण सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा–23 तथा बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रेशन नियमावली, 2018 के नियम–15 एवं नियम–16 के तहत कारण पृच्छा किया गया था कि क्यों नहीं **बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन** का निबंधन रद्द किया जाय? उक्त संघ को निम्नलिखित कृत्य के लिए कारण पृच्छा पूछा गया था :–

क– केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक–07.12.22 को हुई थी, उस बैठक का नोटिस दिया गया था या नहीं ? यदि बैठक का नोटिस दिया गया था कि उसकी छायाप्रति कृपया उपलब्ध करायें।

ख– बाईलॉज के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने की सूचना कितने दिन पूर्व देने का प्रावधान है, संसूचित करें।

ग– केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का कोरम क्या है तथा इस कोरम के अनुसार उक्त बैठक में सदस्यों ने भाग लिया था कि नहीं ? यदि भाग लिया था तो उपस्थिति पंजी की हस्ताक्षरित छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।

घ– केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति से पारित प्रस्ताव जिस पंजी में अंकित किया गया था, उक्त बैठक की कार्यवाही पंजी की हस्ताक्षरित छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।

ड.– उपरोक्त प्रस्ताव के कंडिका–4 में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मधुबनी द्वारा क्या कार्रवाई की गयी थी। उपरोक्त पर संघ ने **"पैनी नजर"** रखने का निर्णय लिया है तथा संघ अनुमंडल पदाधिकारी के साथ पूरी तरह से खड़ी है। इसमें संघ से यह पूछा गया था कि "बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसियेशन" के बायलॉज के किस प्रावधान के तहत संघ किसी भी घटना पर **"पैनी नजर"** रखने के लिए स्वयं को सक्षम समझता है ?

कारण पृच्छा विभागीय पत्रांक–1134, दिनांक–10.12.22 द्वारा किया गया था एवं एक सप्ताह के भीतर उत्तर की अपेक्षा की गई थी। कोई उत्तर नहीं प्राप्त होने के कारण पुनः पत्रांक–1151,

दिनांक–16.12.22 को स्मार दिया गया था और यह कहा गया था कि तीन दिनों के भीतर कृपया वांछित सूचना उपलब्ध कराएं।

इसी बीच बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने अपने पत्रांक–67, दिनांक–19.12.22 द्वारा यह बताया कि संघ ने केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक 08 जनवरी 2023 को रखी है और तदनुसार कारण पृच्छा का जवाब देने के लिए 10 जनवरी 2023 तक का समय मांगा।

तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1154, दिनांक–20.12.22 द्वारा संघ को 30 दिनों का समय देते हुए कहा गया कि वे अपना कारण पृच्छा 30 दिनों (अर्थात् 20 जनवरी 2023) के भीतर उपलब्ध कराएं कि क्यों नहीं संघ का निबंधन रद्द किया जाए।

संघ द्वारा अपने ज्ञापांक–3 दिनांक–19.01.23 द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। संघ ने कार्यकारिणी की बैठक के नोटिस की प्रति भी संलग्न की है, जो कि दिनांक–06.12.22 को निर्गत है और दिनांक–07.12.22 को कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की सूचना है, जिससे स्पष्ट है कि मात्र 24 घंटे की नोटिस पर आपातकालीन बैठक बुलायी गयी। संघ ने अपने उत्तर में यह भी उल्लेख किया है कि बैठक बुलाने हेतु संघ की उपविधि में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने आगे अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि दिनांक–08.01.23 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक निर्धारित की गयी थी, जिसमें सर्वसहमति से दिनांक–07.12.22 को कार्यवाही को संपुष्ट किया गया था, किंतु संघ ने दिनांक–08.01.23 को हुई उक्त बैठक की कार्यवाही अपने स्पष्टीकरण में संलग्न नहीं की है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संघ अपने कागजातों को इस विभाग को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। साथ ही संघ ने अपने जवाब में यह भी नहीं लिखा है कि ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति आ गयी थी, जो कि संघ को 7 दिसम्बर 2022 की कार्यकारिणी की बैठक को मात्र 24 घंटे के भीतर बुलाना पड़ा। साथ ही आपातकालीन बैठक का क्या एजेंडा था, यह दिनांक–06.12.22 की नोटिस में अंकित प्रतीत नहीं होता है। संघ ने यह कहा है कि उनकी उपविधि के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का नोटिस देने का ना तो कोई समय–सीमा निर्धारित है और ना किसी प्रकार का कोरम निर्धारित है।

उपरोक्त तर्क स्वीकारणीय नहीं है। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की कोई समय–सीमा निर्धारित ना होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी बैठक 24 घंटे के भीतर बुलायी जाए। यह भी उल्लेख करना है कि यदि उपविधि में नोटिस देने की अवधि का प्रावधान नहीं है, तो उक्त उपविधि में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक बुलाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। केवल मासिक बैठक बुलाने का प्रावधान है। अतः स्पष्ट नहीं है कि केन्द्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक उपविधि के किस नियम के तहत बुलाई गई थी।

उपविधि के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति स्वयं की कोई आपात बैठक बुलाने हेतु सक्षम नहीं है। केन्द्रीय कार्यकारिणी की समिति, उपविधि की कंडिका–3(सी) के तहत "आमसभा" की

असाधारण बैठक बुलाने के लिए सक्षम है। अतः यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अपनी खुद की आपातकालीन बैठक नहीं बुला सकती है अपितु "आमसभा" की असाधारण बैठक बुला सकती है। दिनांक–06.12.22 के नोटिस के तहत संघ ने आमसभा की असाधारण बैठक ना बुलाकर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की आपातकालीन बैठक बुलायी है, जिसका कोई प्रावधान नहीं है।

अतः यह तय है कि संघ की बैठक दिनांक–06.12.22 उनके अपनी ही उपविधि की कंडिका 3(सी)(i) –सह–पठित कंडिका–7(xiv) का उल्लंघन है। स्पष्टतः संघ द्वारा अफरा–तफरी में बैठक बुलायी गयी और अफरा–तफरी में ही कई निर्णय पारित किये गये। अतः संघ अपने ही बनाये हुए नियमों का पालन करने में असफल रहा है।

संघ ने अपने ज्ञापांक–3, दिनांक–19.01.23 द्वारा दिए गए उत्तर में उपरोक्त बातें कहने के अतिरिक्त भौतिक सुनवाई का भी अनुरोध किया। जिसके आलोक में दिनांक–27.01.23 को सुनवाई की तिथि तय की गई। सुनवाई के दिन संघ की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता, जिन्हें संघ द्वारा प्राधिकृत किया गया था, उपस्थित हुए। सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान कार्रवाई बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन नियमावली के नियम–14 के अनुकूल नहीं है। सुनवाई के दौरान संघ से कतिपय कागजातों की आशा की गई थी, जो कि इनके द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट करना है कि संघ को विभागीय पत्रांक–69, दिनांक–29.01.23 द्वारा यह सूचित किया गया था कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक–07.12.22 को लिए गए निर्णय की सम्पुष्टि दिनांक–08.01.23 की जिस कार्यकारिणी की बैठक में सम्पुष्ट कराया गया था, उसके संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें। किन्तु संघ के अधिवक्ता द्वारा दिनांक–08.01.23 की इस तथाकथित बैठक से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

सुनवाई के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी पूछा गया कि दिनांक–07.12.22 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक उपविधि के किस प्रावधान के तहत की गयी है, तो इसका उत्तर संघ के विद्वान अधिवक्ता नहीं दे सके। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछा गया कि उपविधि के किस नियम के तहत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णय को दिनांक–08.01.23 की बैठक द्वारा सम्पुष्ट किया गया। अधोहस्ताक्षरी ने संघ के विद्वान अधिवक्ता का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केवल आम सभा की असाधारण बैठक बुला सकती है, स्वयं की आपात बैठक नहीं बुला सकती है। उनका ध्यान इस ओर भी दिलाया कि आम सभा की बैठक में ही केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की सम्पुष्टि हो सकती है। इस हेतु उपविधि की कंडिका–3(सी)(i) एवं कंडिका–7(xiv) पर ध्यान देना होगा। कंडिका–7(xiv) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अपने लिए निर्णयों को आम सभा को notify करेगी।

जहां तक संघ ने अपने कारण पृच्छा में विभागीय पदाधिकारियों पर bias का आरोप लगाया है, तो इस पर यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त bias अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध किस प्रकार सिद्ध हो सकता है। जहां तक इस विभाग द्वारा संस्थाओं के निबंधन को रद्द करने की शक्तियों का प्रश्न है, तो यह स्पष्ट करना उचित होगा कि कार्यपालक नियमावली में तथा सोसायटी निबंधन अधिनियम में यह कार्य केवल यह विभाग ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विभाग को यह दायित्व नहीं सौंपा गया है। ऐसी स्थिति में Doctrine of Necessity के तहत इस मामले की सुनवाई इसी विभाग को करनी है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Virendra Kumar Sharma and Ors. vs. The State of U.P. and Ors. एवं Charan Lal Sahu vs. Union of India द्वारा इस तथ्य को तय कर दिया गया है कि Doctrine of Necessity ऐसे सभी मामलों में लागू है।

अतः bias का आरोप निराधार है और अधोहस्ताक्षरी एवं इस विभाग पर लागू नहीं होता है। संघ द्वारा समर्पित कारण पृच्छा तथा सुनवाई के बाद यह स्पष्ट है कि संघ उपरोक्त तथ्यात्मक बिन्दुओं पर कोई सार्थक उत्तर देने में असमर्थ रहा है। साथ ही सुनवाई की तिथि को यह आशा की गई थी कि संघ दिनांक–08.01.23 को कार्यकारिणी की उस तथाकथित बैठक संबंधी कागजात प्रस्तुत करेगा, जिस बैठक में संघ द्वारा दिनांक–07.12.22 की आपातकालीन बैठक की सम्पुष्टि की गई थी। स्पष्टतः संघ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बैठक (दिनांक–08.01.23) का कोई कागजात नहीं दिया गया। उनके द्वारा अतिरिक्त समय की मांग करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि संघ द्वारा दिनांक–08.01.23 को कोई बैठक नहीं बुलाई गई और विभाग को साफ झूठ बोला गया। स्पष्ट है संघ द्वारा अपने ही उपविधि के अन्तर्गत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है एवं तमाम ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जो कि न केवल प्रक्रियात्मक तरीके से गलत है, अपितु तथ्यात्मक रूप से भी सत्य से परे है। प्रक्रियात्मक त्रुटियों का पालन यदि नहीं भी किया जाए, तब भी किसी संस्था से यह आशा की जाती है कि वह कोई प्रस्ताव पारित करने से पहले सही तथ्यों पर विचार करे और पूर्ण जिम्मेदारी से अपने संस्थागत कार्यों का निवर्हन करे। प्रस्तुत प्रकरण में संघ द्वारा न सिर्फ हड़बड़ी में प्रक्रियात्मक बिन्दुओं का पालन नहीं किया गया, अपितु बिना सही तथ्यों पर विचार किए, आपाधापी में अनर्गल प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे पता चलता है कि संघ के पदधारकों ने अत्यन्त ही गैर–जिम्मेदाराना तरीके संघ का संचालन किया है।

पृष्ठभूमि के तौर पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ने तथाकथित रूप से दिनांक–07.12.22 को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने कतिपय प्रस्ताव "**प्रकाशनार्थ/प्रसारनार्थ**" पारित किए। उक्त प्रस्ताव में दो मुख्य बिन्दु थे, जो कि निम्नवत हैं :–

क– बिपार्ड, गया में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम अव्यवहारिक होने के चलते कई पदाधिकारी बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही, एक पदाधिकारी की मृत्यु बिपार्ड के प्रशिक्षण के दौरान बिना समुचित स्वास्थ्य जांच के फलस्वरूप हुई, के संबंध में मुख्य सचिव को अवगत कराने का निर्णय संघ द्वारा लिया गया।

ख– मधुबनी जिला के अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा की गई कार्रवाई का संघ ने संज्ञान लिया और उस पर पैनी नजर रखने का निर्णय लिया।

विभाग द्वारा उक्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक का संज्ञान लेते हुए संघ से यह पूछा था कि क्या संघ ने अपने सभी बाईलॉज का पालन करते हुए केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई थी और क्या इस समिति की बैठक निर्धारित कोरम के अनुसार हुई थी अथवा नहीं।

संघ द्वारा तथाकथित रूप से दिनांक–07.12.22 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की समिति में जो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसकी समीक्षा से पता चलता है कि संघ ने प्रस्ताव पारित करने से पहले कोई विवेचना/अध्ययन नहीं किया और न ही संबंधित पदाधिकारियों/संस्थानों से संपर्क किया। उदाहरणार्थ, उन्होंने बिपार्ड के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी से संपर्क करके सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया और बिना सोचे–समझे न सिर्फ आनन–फानन में कार्यकारिणी समिति की अवैध बैठक बुलाई, अपितु अज्ञानता से परिपूर्ण भ्रामक प्रस्ताव भी पारित किया।

संघ द्वारा अपने तथाकथित प्रस्ताव में यह ईंगित किया गया है कि जिस उपसमाहर्त्ता की मृत्यु ट्रेक पर हुई, उसकी चिकित्सीय जांच नहीं कराई गई थी। इस संबंध में विभाग द्वारा बिपार्ड, गया के विशेष कार्य पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया। उक्त प्रतिवेदन पत्रांक–876, दिनांक–13.12.22 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ, जिसके अध्ययन से प्रतीत होता है कि ट्रेक पर भेजे जाने से पहले स्वर्गीय विवेक कुमार की दो बार जांच हुई थी। एक बार स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर द्वारा जांच की गई। तत्पश्चात् सिविल सर्जन, गया द्वारा भी उनकी स्वास्थ्य जांच की गई थी। अतः स्पष्ट है कि संघ ने स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए बिना तथ्यों की तस्दीक करते हुए आनन–फानन में अवैध बैठक की और एक गलत प्रस्ताव पारित किया। इतना ही नहीं, उक्त बैठक के प्रस्ताव में उन्होंने **"प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ"** ईंगित किया है, जो करने की शक्ति/प्रावधान संघ की उपविधि में नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुशासनहीनता की सभी सीमाएं पार करते हुए संघ के पदाधिकारियों द्वारा, जो कि स्वयं सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी हैं, सोशल मीडिया/न्यूज चैनलों में उपरोक्त प्रकरण पर अनर्गल बयानबाजी की गई।

दूसरा प्रस्ताव मधुबनी जिला से संबंधित है, जिस पर भी विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्रतिवेदन मांगा गया, जो कि पत्रांक–4259, दिनांक–13.12.22 के द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सरकारी कार्य के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं जिला

कृषि पदाधिकारी, मधुबनी के बीच में एक विवाद उत्पन्न हुआ। यह आश्चर्यजनक है कि एक पूर्णतया सरकारी मामले में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन क्यों कूद पड़ी, यह समझ से परे है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मधुबनी में घटित कांड पूर्णतया अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जा रही सरकारी जांच के दौरान हुआ। उस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के बीच में नोकझोंक अथवा एक–दूसरे के ऊपर आरोप–प्रत्यारोप की बात सामने आई है, जैसा कि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है। कहने का तात्पर्य है कि यह पूर्णतया सरकारी प्रकरण था, जिस पर जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार जिला उप विकास आयुक्त, मधुबनी जांच कर रहे थे। अतः ऐसे सरकारी काम में संघ का बीच में कूद पडना और **"पैनी नजर"** रखने का निर्णय लेना न सिर्फ संघ के पदाधिकारियों की स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, अपितु उनकी अज्ञानता एवं अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। प्रस्ताव पारित करने वाले संघ के पदाधिकारियों ने अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए एक ऐसे मसले पर संज्ञान लिया, जो केवल राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। अतः स्पष्ट है कि संघ ने अपने नियम/नियमावली की परिधि एवं संस्था के कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर काम किया।

उल्लेखनीय है कि यह संघ सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह अंकित है कि यह अधिनियम साहित्य, विज्ञान, ललित कलाओं, खैराती प्रयोजनों, राजनीति शिक्षा के प्रसार इत्यादि के लिए काम करने वाली संस्थाओं का निबंधन के लिए बना है। इसमें यह कहीं इंगित नहीं है कि ऐसी संस्थाएं, जो इस अधिनियम के तहत निबंधित हैं, वह सरकारी घटनाक्रमों/कार्यकलापों पर **"पैनी नजर"** रखने अथवा अपने प्रस्तावों के माध्यम से अनर्गल टीका–टिप्पणी कर सकती हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के ऊपर यह बात इसलिए भी विशेष तौर पर गंभीरता से लागू होनी चाहिए, क्योंकि इस संघ के सभी सदस्य स्वयं राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी हैं। उनसे आशा की जाती है कि उन्हें सरकारी कार्यकलापों, सरकारी आचार संहिता एवं अपनी सीमाओं/मर्यादाओं की जानकारी भली–भांति होंगी। उनसे यह भी आशा की जाती है कि किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर पहले उसकी सत्यता को परखें, उसकी विवेचना करें और तत्पश्चात् मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए संघ में अपनी उपविधि के तहत कदम उठाएं। न कि आनन–फानन में सूचनाओं की सत्यता को परखे बगैर मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव पारित कर सरकार के खिलाफ अनुशासनहीनता का परिचय दें अथवा सरकारी कार्यक्रमों/घटनाक्रमों पर अनर्गल टीका–टिप्पणी करें।

उपरोक्त से पता चलता है कि संघ का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत नहीं हो रहा है एवं संघ के कार्यकलापों में पारदर्शिता की कमी है। यह भी स्पष्ट है कि संघ अपने ही बनायें हुए बायलॉज के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहा है।

ऐसी स्थिति में मैं अधोहस्ताक्षरी "**बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन**", जिसका निबंधन संख्या–633/2003–04 है, का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 की धारा–23 के तहत **रद्द** करता हूँ। साथ ही उक्त सोसाईटी की सभी गतिविधियों पर **तत्काल प्रभाव से रोक** लगाता हूँ।

28.1.23

(काशी कुमार)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– BS3-101321/2003 - 76 पटना, दिनांक 28/01/2023
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के मुख्य कार्यालय का निरीक्षण कर, उसका विस्तृत Inventory बनाते हुए, एक प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को 15 दिनों के अन्दर देने का कष्ट करें, ताकि संघ की परिसम्पतियों के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

28.1.23

सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– BS3-101321/2003 - 76 पटना, दिनांक 28/01/2023
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28.1.23

सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– BS3-101321/2003 - 76 पटना, दिनांक 28/01/2023
प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/महासचिव, "बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन" इनकम टैक्स गोलम्बर के उत्तर, नेहरू मार्ग, पटना–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.1.23

सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.1899 of 2023

The Bihar Administrative Service Association

... ... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar

... ... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Y.V. Giri, Sr. Advocate
Ms. Shrishti Singh, Advocate
For the Respondent/s : Mr. Naresh Dixit, Advocate
Mr. Vikash Kumar, SC-11

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE PURNENDU SINGH

ORAL ORDER

2 10-02-2023 Heard Mr. Y.V. Giri, learned Senior Counsel appearing on behalf of the petitioner and Mr. Vikash Kumar, learned SC-11 for the State.

2. Mr. Naresh Dixit, learned counsel informs this Court that he has received instruction from Mr. K.K. Pathak, who is currently posted as the Additional Chief Secretary, Prohibition Excise & Registration Department, Government of Bihar that no action will be taken in furtherance of impugned order dated 28.01.2023 (as contained in Annexure-15).

3. The parties have agreed to resolve the matter amicably so that the matter should be kept at rest.

4. The parties have agreed that the Chief Secretary, Government of Bihar be directed to intervene into the matter to resolve the issue amicably.

5. Mr. Y.B. Giri, learned Senior Counsel appearing on

behalf of petitioner and Mr. Vikash Kumar, learned SC-11 appearing on behalf of State have no objection. Mr. Giri has submitted that one of the responsible member of the Association will participate in the meeting.

6. Since, the parties have agreed to resolve the issue amicably, the Chief Secretary, Government of Bihar is directed to look into the matter at his own level and convene a meeting preferably on 16.02.2023 or any other date convenient to the parties.

7. The Additional Chief Secretary, Prohibition Excise & Registration Department, Government of Bihar must ensure his participation in the said meeting before the Chief Secretary on date fixed.

8. List this case on 28.02.2023 at 2.45 P.M.

(Purnendu Singh, J)

manish/-

U			